



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3234 / SEIAA/2022

Date: 3/3/22

प्रति,


खनिज अधिकारी,
जिला - रतलाम

विषय:- प्रकरण क्र. 8911/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री वसीम खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी दरगांव मोहल्ला, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)-457114 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 385/2/2, ग्राम जीवनगढ़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 546वी बैठक दिनांक 08.02.2022 में अनुशांसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 707 वी बैठक दिनांक 23.2.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 5037 दिनांक 22.10.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत होना दर्शित है। अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार तीन अन्य खदान (प्रकरण नम्बर 8818/2021, 6948/2020 एवं 6769/2020) और परिलक्षित है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 7.00 हेक्टेयर होता है जिस कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः खनिज अधिकारी, रतलाम से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।


उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी 15 दिवस के अंदर सिया कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 3235 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 3/3/22

1. श्री वसीम खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी दरगांव मोहल्ला, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)


प्रभारी अधिकारी